प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 1296/2008

याचिकाकर्ता : मंगल सिंह कंवर पिता श्री स्व. समनाथ सिंह, आयु लगभग 52 वर्ष, निवासी ग्राम- लेपरा, तहसील कट-घोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

//बनाम//

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. मुख्य प्रबंध निदेशक, एस.ई.सी.एल., सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, कोरबा (छ.ग.)
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील कटघोरा जिला, कोरबा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत परमादेश, प्रतिषेध, और अन्य उपयुक्त रिट या रिट आदेश या आदेश निर्देश या निर्देशों के प्रकृति मे रिट जारी करने के लिए रिट याचिका

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

मामला क्रमांक रिट याचिकाएँ (सी) संख्या 1296/ 2008

आदेश पत्रक (पूर्वानुबद्ध)

आदेश का दिनांक तथा आदेश क्रमांक	हस्ताक्षर सहित आदेश	कार्यालयीन मामलों मे डिप्टी रजिस्ट्रार के अंतिम आदेश
	एकपीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायमूर्ति 14.7.2009 याचिककर्ताओं हेतु श्री आर. के. जायसवाल, अधिवक्ता उत्तरवादी/राज्य हेतु श्री आलोक बक्शी, शासकीय अधिवक्ता उत्तरवादी/ एस.ई.सी.एल. हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन. के. शुक्ला सहित अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र शुक्ला सुना गया । अंतिम आदेश रिट याचिका (सी) संख्या 1000/2008 और इस याचिका सहित अन्य संबंधित मामलों मे अलग से पारित किया गया है **सही/-** **श्री सतीश के. अग्निहोत्री** **न्यायमूर्ति**	

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय: बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) संख्या 1000/2008

याचिकाकर्ता : नहकुल सिंह, पिता श्री बुटुग, आयु लगभग 50 वर्ष, निवासी ग्राम जिल्दा, तहसील कटघोरा, जिला कोरबा (छ.ग.)

//बनाम//

उत्तरवादीगण :

1. छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा सचिव, डी.के.एस. भवन, रायपुर (छ.ग.)
2. मुख्य प्रबंध निदेशक, एस.ई.सी.एल., सीपत रोड, बिलासपुर (छ.ग.)
3. कलेक्टर, कोरबा (छ.ग.)
4. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), तहसील कटघोरा जिला, कोरबा (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एवं

रिट याचिकाएँ (सी) संख्या 7321/ 2007, रिट याचिकाएँ (सी) संख्या 2008 के 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 953, 955, 956, 959, 960, 961, 1001, 1002, 1003, 1004, 1030,1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1065, 1066, 1067, 1068, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1295, 1296, 1297, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590,1591,1592, 1605, 1674, 1675, 1676, 1710, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870,1871,1872,1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1960, 1990, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2538, 2540, 2541, 2542, 2562, 2563, 2569, 2570, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3433, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3762, 3763, 5072, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5210, 5268, 5269, 5322, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 6102, 6103, 6254 और 6274 ।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत रिट याचिकाएँ

(एकपीठः माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री न्यायमूर्ति)

उपस्थित: याचिकाकर्ताओं श्री आर. के. जायसवाल, अधिवक्ता
उत्तरवादी/राज्य हेतु श्री आलोक बक्शी, शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी/ एस.ई.सी.एल. हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. एन. के. शुक्ला सहित अधिवक्ता श्री शैलेन्द्र शुक्ला

आदेश (मौखिक)

(आज दिनांक 14 जुलाई, 2009 को पारित)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सुना गया।

1. उपर्युक्त 181 रिट याचिकाओं में तथ्यों और विधि का एक सामान्य प्रश्न शामिल है, जैसे कि क्या मिनीमाता बांगो बांध के निर्माण के कारण विस्थापित परिवार का एक सदस्य, सिंदूरगढ़ कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंदूरगढ़, जिला कोरबा में अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार का हकदार है, इसलिए सभी रिट याचिकाएँ (सी) संख्या 7321/ 2007, तथा रिट याचिकाएँ (सी) 2008 के 915, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 953, 955, 956, 959, 960, 961, 1001, 1002, 1003, 1004, 1030,1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1065, 1066, 1067, 1068, 1147, 1148, 1149, 1150, 1151, 1195, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1295, 1296, 1297, 1550, 1551, 1552, 1553, 1554, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589, 1590,1591,1592, 1605, 1674, 1675, 1676, 1710, 1863, 1864, 1865, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870,1871,1872,1873, 1874, 1875, 1876, 1877, 1878, 1960, 1990, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2538, 2540, 2541, 2542, 2562, 2563, 2569, 2570,

3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3433, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3762, 3763, 5072, 5202, 5203, 5204, 5205, 5206, 5210, 5268, 5269, 5322, 5396, 5397, 5398, 5399, 5400, 6102, 6103, 6254 और 6274 का निपटान सामान्य आदेश के द्वारा किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ता ग्राम साखो (लरला), कोमा, जिल्दा, ललिया, बहेरा, तुंगा, इटमा, खैरभवना, बोदा-नाला, जाजमी, जामकछार, ठूठीपीपर, उडेना, बलदेवनगर, बंधा घोसरा गांवों के हैं।केंदई, सर-भोका,बुका,कंसरा, बंजरीडांड, बंजारी,भूलसिवंहा, सरखोदा, नवघाटा, खोंसरा, भुलसीडीह,बहेरा, मारगांव, रंपा, उडेना, सतरेगा, चटन, पतिबहार, गढ़, लारला, यादलेनगर, जजगी और टोंसरा, जिला-कोरबा के है।

3. राज्य सरकार ने वर्ष 1977 में मिनीमाता बांगो सिंचाई बांध के निर्माण का प्रस्ताव रखा था। सभी याचिकाकर्ताओं की भूमि वर्ष 1977 से 1988 के बीच भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में अधिनियम, 1894) के प्रावधानों के अनुसार अधिग्रहित की गई थी। अधिग्रहण या मुआवजे के भुगतान या अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत अनुमेय किसी अन्य मामले में कोई शिकायत नहीं है। बांध का निर्माण वर्ष 1985 में पूरा हुआ था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. राज्य सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं, विद्युत परियोजनाओं या जनोपयोगी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित भूमि से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास और उनसे संबंधित या आनुषंगिक मामलों के लिए मध्य प्रदेश परियोजना के कारण विस्थापित व्यक्ति (पुनःस्थापन) अधिनियम बनाया। अधिनियम, 1985 (संक्षेप में अधिनियम, 1985)। अध्याय **II** में, धारा 3 पुनर्वास मामलों में मुख्य नियंत्रण प्राधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है, धारा 4 पुनर्वास आयुक्त और परियोजना पुनर्वास अधिकारी तथा सहायक परियोजना पुनर्वास अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करती है, धारा 5 पुनर्वास आयुक्त के कर्तव्यों का प्रावधान करती है और धारा 6 आयु-क्त के कर्तव्यों का प्रावधान करती है। अध्याय **III** सुधार सुनिश्चित करने के लिए परियोजना की घोषणा और उसके परिणामों से संबंधित है। अधिनियम, 1985 की धारा 10 में परियोजना की घोषणा का प्रावधान है, जिसमें विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की आवश्यकता होती है, कि यदि राज्य सरकार की राय है कि ऐसा करना सार्वजनिक-हित में आवश्यक या समीचीन है, तो वह अधिसूचना द्वारा किसी भी सिंचाई परियोजना, विद्युत परियोजना या सार्वजनिक

उपयोगिता परियोजना या उसकी किसी भी समग्र परियोजना को एक ऐसी परियोजना घोषित कर सकती है जिस पर अधिनियम, 1985 के प्रावधान लागू होंगे।

5. अधिसूचना के तहत केवल इंदिरा सागर परियोजना को ही अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के अंतर्गत परियोजना घोषित किया गया है। अन्यथा भी, यह विवाद में नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि मिनीमाता बांगो सिंचाई परियोजना भी अधिनियम, 1985 की धारा 10 के प्रावधानों के अंतर्गत इस प्रयोजन हेतु एक सिंचाई परियोजना थी। इस प्रकार, मिनीमाता बांगो परियोजना ऐसी परियोजना नहीं थी जिसमें अधिनियम, 1985 की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार पुनर्वास किया जाना था।

6. रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आर. के. जायसवाल का एकमात्र आधार यह है कि 1.8.1997 को आयोजित बैठक में, तत्कालीन मध्य प्रदेश राज्य के अधिकारियों और एस.ई.सी.एल. के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक श्री वी.के. सहगल की उपस्थिति में, कलेक्टर, बिलासपुर की अध्यक्षता में हुई बैठक में मिनी माता बांगो सिंचाई परियोजना के विस्थापित परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने का संकल्प लिया गया था, जैसा कि आयुक्त के दिनांक 4/5 अगस्त, 1997 के पत्र (अनुलग्नक पी/1) में स्पष्ट है, और यह इस प्रकार है:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "6. सिंदूरगढ़ कोयला खदान में विस्थापितों की नियुक्तियाँ: - अध्यक्ष- सह – निदेशक, दक्षिण पूर्वी कोयला प्रक्षेत्र ने सैद्धांतिक सहमति दी है कि सिंदूरगढ़ कोयला खदान मे हसदेव बाँगों के विस्थापित व्यक्तियों को रोजगार दिया जावेगा । वे इस संबंध में शीघ्र की सूचित करने वाले हैं कि कितने विस्थापित व्यक्तियों को, किन किन कार्यों मे उनमें निर्धारित योग्यता के अनुसार, नियुक्तियाँ दी जा सकती हैं ।"

7. याचिकाकर्ता कार्यवाही के विवरण के उपर्युक्त पैरा 6 के आधार पर अनुतोष का दावा करते हैं, जिसमें यह देखा गया था कि अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने प्रस्ताव को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। इसके बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार और एस.ई.सी.एल. के बीच कोई आदेश पारित नहीं किया गया है और कोई उचित समझौता नहीं किया गया है। याचिकाकर्ता कार्यपालन अभियंता, मिनीमाता बांगो बांध विभाग क्रमांक 3, मचाडोली, जिला - कोरबा द्वारा कलेक्टर, कोरबा को लिखे गए पत्र दिनांक 2.7.2008 (अनुलग्नक पी/7) पर भी

अवलंब लिया गया है। जिसमें दिनांक 6.3.1997 की बैठक का उल्लेख है, और आवेदकों की एक सूची संलग्न की गई थी।

8. उत्तरवादी/राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री आलोक बख्शी के अनुसार, मिनी-माता बांगो बांध के डूब क्षेत्र में आने वाली सभी भूमि का अधिग्रहण वर्ष 1988 में पूरा हो चुका है और इससे होने वाले सभी लाभ उसमें से, विस्थापितों को प्रदान किए गए हैं। अधिनियम, 1985 के प्रावधान याचिकाकर्ताओं पर लागू नहीं होते, क्योंकि अधिनियम, 1985 की धारा 10 के अंतर्गत कोई घोषणा नहीं की गई थी। हसदेव बांगो परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के समय, पुनर्वास के लिए एक विस्तृत योजना तैयार की गई थी। उस योजना के अनुसार, वि-स्थापित व्यक्तियों के लाभ के लिए कई कल्याणकारी योजनाएँ शुरू की गईं। इनमें संबंधित विभागों की देखरेख में मछली पकड़ना, मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन, वनोपज संग्रहण, सिंचाई कार्य शामिल थे। उपर्युक्त कार्यों के समुचित क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संभागीय समितियों का गठन किया गया था। इन कार्यक्रमों की समय-समय पर निगरानी की गई और विस्थापित व्यक्तियों को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए इन्हें उचित रूप से लागू किया गया। निग रानी जारी है और नियमित अंतराल पर रिपोर्ट तैयार की गई है। विस्थापित परिवारों के किसी भी सदस्य को रोजगार देने का कोई प्रावधान नहीं था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. श्री बख्शी ने आगे कहा कि दिनांक 1.8.1997 की बैठक के उपरोक्त कार्यवृत्त से स्पष्ट है कि रा-ज्य सरकार या एस.ई.सी.एल. द्वारा विस्थापित परिवार के किसी सदस्य को रोज़गार, यदि कोई हो, प्रदान करने की कोई प्रतिबद्धता नहीं जताई गई थी। सिद्धांततः, यह माना गया कि एस.ई.सी.एल. अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रोज़गार प्रदान कर सकता है।

10. श्री बख्शी ने आगे तर्क दिया कि याचिका में देरी की गई है, अत्यधिक देरी के लिए कोई स्प-ष्टीकरण नहीं दिया गया है। ज़मीनें 1977-1988 के बीच अधिग्रहित की गई थीं और ये रिट याचिकाएँ 2007-2008 में दायर की गई हैं। इस प्रकार, लगभग 18 वर्षों से, याचिकाकर्ता अपने अधिकारों, यदि कोई हों, के बारे में अनभिज्ञ रहे हैं। इस प्रकार, रिट याचिकाएँ अस्पष्ट और अत्यधिक विलंब के कारण भी खारिज किए जाने योग्य हैं।

11. डॉ. एन. के. शुक्ला, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता और श्री शैलेंद्र शुक्ला, उत्तरवादी/एस.ई.सी.एल. की ओर से उपस्थित हुए, यह तर्क देते हैं कि बैठक न तो कोई समझौता थी और न ही कोई वादा। यह एक चर्चा थी, कोई उचित समझौता नहीं किया गया था और इसलिए बैठक के का-

र्यवृत्त एस.ई.सी.एल. पर बाध्यकारी नहीं माने जा सकते। एस.ई.सी.एल. विस्थापितों के परिवार के सदस्यों को कोई रोजगार प्रदान करने के लिए बाध्य नहीं है, जो मिनीमाता बांगो सिंचाई परियोजना के निर्माण के कारण परेशान हैं।

12. मैंने पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्तागण को सुना है और उनके साथ संलग्न अभिवचनों और दस्तावेजों का परिशीलन किया है।

13. श्री जायसवाल द्वारा वर्ष 1991 की 25 सितंबर, 1991 (अनुलग्नक आर-2/1) की पुनर्वास नीति पर अवलंब करने पर भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नीति को ध्यान से पढ़ने पर यह स्पष्ट है कि यह नीति उन विस्थापितों के लिए है जिन्हें किसी खनन परियोजना के कारण बेदखल किया गया है। स्वीकृत रूप से, मिनीमाता बांगो परियोजना कोई खनन परियोजना नहीं, बल्कि एक सिंचाई परियोजना है।

14. अपने तर्क में, श्री जायसवाल छत्तीसगढ़ राज्य की आदर्श पुनर्वास नीति, 2007 (अनुलग्नक पी/6) का अवलंब लिया है। इस नीति में उन विस्थापितों के पुनर्वास का प्रावधान नहीं है जो 1985 या उसके बाद 2008 तक विस्थापित हुए हैं। यह नीति नीति निर्माण के बाद विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास से संबंधित है, न कि पुराने विस्थापितों से।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. अभिवचनों और दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं मांग रहे हैं। याचिकाकर्ता 1.8.1997 को हुई बैठक के कार्यवृत्त के आधार पर सिंदूरगढ़ कोल फील्ड्स लिमिटेड में बेदखल परिवार के एक सदस्य के लिए रोजगार की मांग कर रहे हैं। यह कानून का एक सुस्थापित सिद्धांत है कि किसी बैठक में लिए गए निर्णय का, प्रस्ताव के आधार पर उचित आदेश के बिना कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं होता है। अन्यथा भी, प्रस्ताव स्पष्ट करता है कि एस.ई.सी.एल. ने प्रस्ताव को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया है, वास्तविक रूप में नहीं और उसके बाद, राज्य सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रस्ताव को प्रभावी बनाने के लिए कोई समझौता करने या यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया कि इस संबंध में कोई आदेश या अधिसूचना जारी की जाए।

16. यह सर्वविदित है कि न्यायालय किसी भी अधिकारी या सरकार या निगम को कोई नीतिगत निर्णय लेने या आदेश पारित करने का निर्देश नहीं दे सकता, जो किसी वैधानिक शक्ति द्वारा समर्थित न हो। इसके अलावा, बैठक में लिया गया कोई भी निर्णय याचिकाकर्ताओं को सिंदूरगढ़ कोलफील्ड्स में रोजगार पाने का कोई अधिकार नहीं देता। इस याचिका में शामिल परि

योजना के विस्थापित व्यक्तियों के किसी भी सदस्य को रोजगार देने का प्रावधान करने वाला कोई क़ानून, अधिसूचना या नीति नहीं है। एकमात्र कानून, जो कुछ लाभों के अनुदान का प्रावधान करता है, वह भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 के प्रावधानों के तहत है। याचिकाकर्ताओं की यह शिकायत नहीं है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है या उन्हें कानून के प्रावधानों के तहत किसी भी लाभ से वंचित किया गया है।

17. विधि के यह सुस्थापित सिद्धांत हैं कि परमादेश रिट किसी वैधानिक प्राधिकारी को उसके वैधानिक दायित्व को पालन करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश रिट जारी किया जा सकता है। यह उसे किसी वैधानिक प्रावधान का उल्लंघन करते हुए आदेश पारित करने के लिए बाध्य करने हेतु जारी नहीं की जा सकती। (देखें **होप टेक्सटाइल्स लिमिटेड एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य**[1]) ।

18. राज्य सरकार के नीतिगत निर्णय की किसी अन्य आधार पर जाँच नहीं की जा सकती, सिवाय इसके कि वह संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत हो या वैधानिक प्रावधानों के विरुद्ध हो। (देखें **दारोथी क्लेयर परेरा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य**[2]) ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

19. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **डब्ल्यू.बी. हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य बनाम बृजेन्द्र प्रसाद गुप्ता एवं अन्य**[3] में, निम्नलिखित टिप्पणी की:

"32. न्यायालय सामान्यतः राज्य के नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। हालाँकि, यदि इस प्रकार बनाई गई नीति संविधान या किसी वैधानिक प्रावधान के विरुद्ध है, तो उसे न्यायिक पुनर्विलोकन के सिद्धांतों पर परखा जा सकता है। जब कोई कार्य राज्य की उस नीति के अंतर्गत आता है जो गरीबों और ज़रूरतमंदों के लाभ के लिए बनाई गई है और जिसमें कोई दोष नहीं पाया जा सकता, तो न्यायालय को अपने हाथ रोक लेने चाहिए और जब तक दुर्भावना के आरोप न हों, तब तक किसी भी प्रकार की त्रुटि खोजने के लिए आवर्धक कांच से विवरणों की बारीकी से जाँच नहीं करनी चाहिए। मामले का समग्र दृष्टिकोण लिया जाना चाहिए और न्यायिक पुनर्विलोकन के इस शक्तिशाली हथियार का अंधाधुंध उपयोग नहीं किया जा सकता।"

---

[1] 1995 Supp (3) SCC 199
[2] (1996) 9 SCC 633
[3] (1997) 6 SCC 207

20. जब तक कोई नीति या कार्रवाई असंवैधानिक न हो या आदेश शक्ति का दुरुपयोग न हो, न्यायालय को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। (देखें **फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन एवं अन्य बनाम यूनियन ऑफ इंडिया**[4]) ।

21. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **ऑल इंडिया आईटीडीसी वर्कर्स यूनियन एवं अन्य बनाम आईटीडीसी एवं अन्य**[5]**,** में टिप्पणी की है कि "इस न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि उक्त नीतिगत निर्णय में न्यायिक पुनर्विलोकन में कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए।"

22. विलंब और कमियों के बिंदु पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **यू.पी. जल निगम एवं अन्य बनाम जशवंत सिंह और अन्य**[6] ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

> "6. इस न्यायालय द्वारा अनेक निर्णयों में विलंब और कमियाँ के प्रश्न का परीक्षण किया गया है और संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत विवेकाधीन अनुतोष के प्रयोग में कमियाँ और देरी को एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। जब कोई व्यक्ति अपने अधिकारों के प्रति सजग नहीं है और स्थिति से सहमत है, तो क्या उसकी रिट याचिका पर इस आधार पर कुछ वर्षों बाद सुनवाई की जा सकती है कि उसे वही अनुतोष दी जानी चाहिए जो उसी स्थिति वाले व्यक्ति को दी गई थी जो अपने अधिकारों के प्रति सजग था और जिसने अपनी सेवानिवृत्ति को चुनौती दी थी, जिसके बारे में कहा गया था कि वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर की जाएगी।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

23. याचिकाकर्ताओं ने अपने अधिकारों, यदि कोई हों, को स्वीकार कर लिया है और उनका परित्याग कर दिया है, और 18 वर्षों की इस असाधारण देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। केवल इसी आधार पर, ये याचिकाएँ खारिज किए जाने योग्य हैं।

24. मामले के तथ्यों पर विधि के सुस्थापित सिद्धांतों को लागू करते हुए, जहाँ कोई संविधि, अधिसूचना, कार्यकारी निर्देश या नीति नहीं है जो मिनामाता बांगो परियोजना के विस्थापित व्यक्ति के एक सदस्य को रोज़गार प्रदान करने का प्रावधान करती हो। परियोजना के अनुसार, उत्तरवादी/राज्य

---

[4] (2003) 4 SSC 289
[5] (2006) 10 SCC 66
[6] (2006) 11 SCC 464

या उत्तरवादी/एस.ई.सी.एल. को याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई अनुतोष प्रदान करने का निर्देश देने के लिए कोई रिट जारी नहीं की जा सकती।

25. सभी द्रष्टिकोण से और ऊपर उल्लिखित कारणों से, सभी रिट याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। वाद-व्यय के संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है ।

सही/-

श्री सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By ...Niraj Baghel, Advocate